



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

23 पौष 1942 (श०)
(सं० पटना 37) पटना, बुधवार, 13 जनवरी 2021

l keKJ; i:'kk l u foHkkx

vf/k l puk
4 t uojh 2021

सं० 7/शक्ति प्र०-13-01/2020-77/सा०प्र०—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (ऐक्ट 2, 1974) की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल निम्नांकित अनुसूची के स्तम्भ-2 में उल्लेखित कार्मिक को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भों में अंकित विवरण के अनुसार दण्डाधिकारी नियुक्त करते हैं और निदेश देते हैं कि उक्त कार्मिक अररिया जिला में दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (ऐक्ट 2, 1974) की संगत धारा के अंतर्गत दण्डाधिकारी की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेंगे।

l ph

00 10	dkfed dk uke ,o in uke	n0i0l0 1973 dh /kkjk ft l d rgr 'kfDr inku dh x;h g	frfFk@ vof/k	i;ktu	n.Mkf/kdkjh %fo'k"K dk;iky d@ dk;iky d%	ftyk dk uke
1	2	3	4	5	6	7
1	जिला निर्वाचन पदाधिकारी—सह— जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद के पत्रांक—134 दि० 27.10.2020 के साथ संलग्न सूची में अंकित कार्मिक।	द०प्र०सं० 1973 की धारा—21	प्रथम चरण के मतदान हेतु	बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2020	विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी	औरंगाबाद

fcgkj&jkT; iky d vkn'k l
'kkfyxke ik.M;]
l jdkj d voj l fpo %i0%A

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 37-571+10-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>